फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

न्यायालय Asst. [illegible]

संख्या 73/2021

विधि संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	31-12-25	पत्रावली आज दिनांक.................. को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा कन्डोलेंस की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6-1-26 को पेश हो।	
	06-01-2026	पत्रावली प्रस्तुत। व.क.उप.। बहस उभय पक्ष आपत्ति/कुरेजात रिपोर्ट पर सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों, कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादी की आपत्ति खारिज की जाकर तहसीलदार रामपुरा-डाबडी, जयपुर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 73/2021
बउनवानी – रामस्वरूप बनाम ताराचंद वगै0
निर्णय दिनांक :– 06.01.2026

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –73/2021 वाद प्रस्तुति दिनांक –01.09.2021

रामस्वरूप पुत्र हनुमान सहाय, जाति जाट, निवासी ग्राम जय रामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र प्रभाती लाल सैनी
2. प्रहलाद पुत्र प्रभाती लाल सैनी
3. मदन पुत्र प्रभाती लाल सैनी
   समस्त लगायत 1 लगायत 4, जाति माली, निवासी ग्राम हाथोज, तहसील व जिला जयपुर।
4. रामनारायण पुत्र प्रभाती लाल सैनी समस्त 01 लगायत 04, जाति माली, निवासी ग्राम हाथोज, तहसील व जिला जयपुर।
5. लाडा देवी पत्नी रामस्वरूप, जाति जाट, निवासी– ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. जयपुर थार ग्रामीण बैंक, जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा जाहोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

दावा तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. मोहनलाल जाट – अधिवक्ता वादी की ओर से
2. अशोक उपाध्याय – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से
3. पवन कुमार – प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से

दिनांक 06.01.2025

निर्णय

वादी व प्रतिवादीगण की ग्राम जय रामपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1431 रकबा 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1433 रकबा 1.08 हैक्टेयर, कुल किता–02 कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर स्थित है, जो इस वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी है, जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त अंकित किया गया है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार है तथा अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। जिनका विधिक विभाजन नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की भूमि है, जिसमें ताराचन्द पुत्र प्रभाती लाल सैनी हिस्सा 11/144, प्रहलाद पुत्र प्रभाती लाल सैनी हिस्सा 11/144, मदन पुत्र प्रभाती लाल सैनी हिस्सा 11/144, रामनारायण पुत्र प्रभाती लाल सैनी हिस्सा 11/144, रामस्वरूप पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा 4/9,

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:48 IST
Reason: SelfAttested

लाडा देवी पत्नी रामस्वरूप हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जिसपर सभी पक्षकार अपने–अपने हिस्से अनुसार साधिकार काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी का विधिक विभाजन नहीं हुआ है। वादी को हक व अधिकार हासिल है कि वादग्रस्त आराजी का माननीय न्यायालय श्रीमान् से राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन करवाये। वादग्रस्त आराजी के विधिक विभाजन हेतु वादी ने प्रतिवादीगण से समय–समय पर विधिक विभाजन हेतु निवेदन किया। जिसपर सहमती से विधिक विभाजन करवाने हेतु सहमत होते रहे, लेकिन सभी पक्षकारान् एक समय एक स्थान पर उपस्थित नहीं रहने के कारण सहमती से विधिक विभाजन नहीं हो पाया। हाल ही दिनांक 30.08.2021 को प्रतिवादीगण बिना विधिक विभाजन के वादग्रस्त आराजी को बेचान करने के लिये अजनबी व्यक्तियो को वादग्रस्त आराजी के पास में लेकर आये तथा भूमि को बेचान हेतु दिखाने लगे तो वादी ने निवेदन किया कि पहले विधिक विभाजन करवा लो जिस पर प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी देकर कहा कि हम वादग्रस्त आराजी का बिना विधिक विभाजन ही भू–माफिया किस्म के लोगो को विशिष्ट भू–भाग का बेचान करेगे तथा दिनांक 31.08.2021 को रोडी व ईटों की ट्रोली लेकर आ गये जिसका वादी विरोध किया तो उस वक्त तो चले गये लेकिन ऐलानिया धमकी दी की "हम बिना विभाजन ही कॉलोनी कांटेगे तुम विशिष्ट भू–भाग का कब्जा खाली कर दो नही तो हम तुम्हे लठ के जोर से बेदखल कर देगे।" वादी ने प्रतिवादीगण से विधिक विभाजन के लिये पुनः अनुरोध किया, तो उन्होंने विधिक विभाजन के लिये मना कर दिया। जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ जो लगातार उत्पन्न हो रहा है, जिससे वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादी को हक व अधिकार हासिल है कि वादग्रस्त आराजी का वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकासमा का माननीय न्यायालय से इस कदर डिक्री करवाये की वादग्रस्त आराजी का विधिक विभाजन राजस्व अभिलेखों में अंकित हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में किया जावें जिसमें सभी हिस्सेदारान को वादग्रस्त आराजी के उत्तरी दिशा में स्थित आम रास्ते पर अनुपातिक हिस्सा दिया जावे तथा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में राजस्व नक्शा, राजस्व जमाबंदी व राजस्व लगान पृथक–पृथक कायम किया जावें। वादी को हक व अधिकार हासिल है कि वादग्रस्त आराजी बाबत् वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय से इस प्रकार डिक्री करवाये कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस पर हमेशा के लिए पाबन्द फरमाया जावें कि वादी के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नहीं करें, वादी को बेदखल नहीं करें, बिना विधिक विभाजन बेचान, हस्तांतरण नहीं करें, कोई खाम या पुख्ता निर्माण नही करे, कोई कॉलोनी सृजित नही करे। उक्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमेन से करवायें। मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 के 1 महीने के समय उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध दिनांक 01.11.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 5 लाडा देवी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाद पत्र की मद संख्या 01 रिकॉर्ड से सबंधित होने से स्वीकार है तथा पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। वाद पत्र की मद संख्या 02 स्वीकार है की प्रतिवादी संख्या 05 उत्तरी दिशा में स्थित आम रास्ते पर बाई मिट्स बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नही है। वादपत्र की मद संख्या 03 इस आश्य से स्वीकार है की पूर्व में भी वादी के द्वारा किये निवेदन से तकासमा हेतु सहमत थे और आज भी उत्तरी दिशा में स्थित आम रास्ते पर बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर तकासमा किये जाये तो प्रतिवादी संख्या 05 को किसी भी प्रकार की आपत्ति नही हैं। वादपत्र की मद संख्या 04 स्वीकार है वादग्रस्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स बाउन्डस के आधार पर तथा सभी हिस्सेदारो को उत्तरी दिशा में स्थित आम रास्ते पर अनुपातीक हिस्सा कर दियें जावे तो मिन जवाबदाता को कोई आपत्ति नही है। वादपत्र की मद संख्या 05 में जिस प्रकार कथन किया गया है। गतल होने से कतई स्वीकार नही है। क्योंकि सहखातेदान की भूमि में सभी पक्षकारान को अपने हिस्से अनुसार हित समान रूप से निहित होते है। एक सतखातेदार को कानूनन पाबंद नहीं किया जा सकता है। वादपत्र की मद संख्या 06 कानूनी है। वादपत्र की मद संख्या 07 कानूनी है। वादपत्र की मद संख्या 08 की उपमद क सही होने से स्वीकार है की उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस के अनुसार पर सभी हिस्सेदारो को उत्तरी दिशा में स्थित आम–रास्ते आनुपातिक हिस्सा कर दिये जाये तो मिन जवाबदाता को कोई आपत्ति नहीं है। वादपत्र की मद संख्या 08 की उपमद गलत होने से स्वीकार नहीं है। क्योंकि सहखातेदारो की भूमि में एक अभिलिखित खातेदार दूसरे अभिलिखित खातेदार को पाबंद नहीं रख सकता है व कानूनन पाबंद करवाने का अधिकारी नही है। वादपत्र की मद संख्या 08 की उपमद ग इस संसोधन के साथ स्वीकार है की माननीय न्यायालय श्रीमान सभी पक्षकारो के हितो को ध्यान में रखकर उचित आदेश फरमावे। वादपत्र की मद संख्या 08 की उपमद घ गलत होने से स्वीकार नहीं है। वादी किसी भी प्रकार का खर्चा मुकदता प्रतिवादी से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब दावा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रतिवादी संख्या 05 का जवाब दावा रिकॉर्ड पर लिये जाकर वादग्रस्त आराजी का रजस्व रिकॉर्ड के हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर उत्तरी दिशा में स्थित आम रास्ते पर सभी पक्षकारो का अनुपातिक हिस्से अनुसार विधिक विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाद पत्र का मद नम्बर 1 जिस प्रकार से लिखा गया है राजस्व रिकोर्ड के अवलोकन से स्वीकार है। वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्सेनुसार शुरू से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। एवं उनका विधिक विभाजन नही हुआ है जिस अनुसार पक्षकारान अपने हिस्से पर मौके पर काबिजानुसार काश्त है उसी अनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा कर दिया जाता है तो उत्तरदाता को कोई आपत्ति नही है। एंव उक्त मद में भी वादी के कथनानुसार ही कब्जेनुसार तकासमा का अनुतोष चाहा है। वाद पत्र का मद नम्बर 2 जिस प्रकार से वर्णित किया है राजस्व रिकोर्ड के अनुसार हिस्सा दर्ज होना स्वीकार है। जिस अनुसार पक्षकारान अपने हिस्से पर मौके पर काबिजानुसार काश्त है उसी अनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा कर दिया जाता है तो उत्तरदाता को कोई आपत्ति नही है। एंव उक्त मद में भी वादी के कथनानुसार ही कब्जेनुसार तकासमा का अनुतोष चाहा है। उक्त मद वादी बदनियती आ जाने से उक्त वादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन करवाने हेतू वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो वादी के उक्त वाद में वर्णित कथनो से विरोधाभाषी प्रकट होते है इस कारण वादी यह अनुतोष प्राप्त करने का कतई अधिकारी नही है। वाद पत्र का मद नम्बर 3 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किये गये है वह पूर्णतया मिथ्या कपोलकल्पि व झूठे है। वादी केवल वाद कारण दर्ज करने से मनगढन्त रूप से दिनांक 30–08–2021 की घटना को अंकित किया है जबकि उक्त दिनाक को इस प्रकार की कोई घटना कारित नही हुई है। ना ही प्रतिवादी ने कभी कभी भी वादी को ऐलानिया धमकी दी की विवादग्रस्त आराजीयात का बिना विधिक विभाजन ही भू माफिया लोगो को बैचान करेगे। ना ही कभी अजनबी व्यक्तियो को वादग्रस्त भूमि पर लेकर आये। ना ही कभी दिनांक 31–08–2021 को रोडी व ईटो की ट्रोली लेकर आये। ना ही किसी प्रकार की बिना विभाजन के कॉलोनी काटने बाबत एंव ना ही विशिष्ट भू भाग का कब्जा लेने बाबत अनुतोष चाहा है। इस विरोधाभाषी अनुतोष के कारण वादी का वाद संधारण योग्य नहीं है। वाद पत्र का मद नम्बर 5 में वर्णित तथ्य झूठे, गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादी एंव प्रतिवादीगण उक्त भूमि के सहखातेदार काश्तकार है एंव अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर शान्ती पूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है कानूनन स्थिति स्पष्ट है कि एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के उसके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग के बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित वाद लाने का अधिकारी नही है। वाद पत्र का मद नम्बर 6 कानूनी होने के कारण जवाब मोहताज नही है। वाद पत्र का मद नम्बर 7 कानूनी होने के कारण जवाब मोहताज नही है। वाद पत्र के मद नम्बर 8 के अनुतोष क लगायत घ का जवाब क्रमवार निम्न प्रकार से हैं:–

(क) वाद पत्र का अनुतोष के मद नम्बर क में वर्णित तथ्य झूठे, गलत होने के कारण अस्वीकार है। इस वाद में वर्णित तथ्य से वादी की बदनियती का स्पष्ट पता चलता है

Signature Not Verified
Digitally Signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

वादी ने अपने वाद पत्र के पूर्व मदो में स्पष्ट स्वीकार किया है कि पक्षकार अपने अपने हिस्से पर शुरू से ही काबिज काश्त है एंव उसी अनुसार बंटवारे का अनुतोष चाहा है तत्पश्चात् इस मद में विशिष्ट भू भाग का कब्जा लेने बाबत अनुतोष चाहा है। इस विरोधाभाषी अनुतोष के कारण वादी का वाद संधारण योग्य नही है।

जवाब दावा पेश होने के उपरांत वाद पत्र अनुसार तनकीयात् कायम की गई।

1. आया वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण वाके ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर स्थित खसरा नंबर 1431 रकबा 1.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1433 रकबा 1.08 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर का वादी बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा करवाने का अधिकारी है ?

———वादी

2. आया वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ?

———वादी

3. आया वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज–काश्त है अतः कब्जे–काश्त के अनुसार ही विभाजन होना आवश्यक है ?

———प्रतिवादी 1 ता 3

4. आया वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार है, एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को उसके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं है ?

———प्रतिवादी 1 ता 3 व 5

5. दादरसी

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादीगण पक्ष द्वारा पी.डब्ल्यू. –1 रामस्वरूप पुत्र हनुमान सहाय जाति जाट, निवासी ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर व प्रतिवादीगण द्वारा डी.डब्लयू 1 मदनलाल पुत्र प्रभाती लाल सैनी निवासी ग्राम हाथोज, तहसील व जिला जयपुर को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया।

अभिलेख साक्ष्य में वादीगण द्वारा जमाबंदी संवत 2076–79 खाता संख्या 451, ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2076–79 खाता संख्या 447, ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर प्रदर्श–2 दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये।

प्रस्तुत दस्तावेजात, बहस के मध्यनजर तनकीयात निम्नानुसार निर्णित की जाती है

1. आया वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण वाके ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर स्थित खसरा नंबर 1431 रकबा 1.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1433 रकबा 1.08 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर का वादी बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा करवाने का अधिकारी है ?

———वादी

2. आया वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ?

———वादी

3. आया वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज–काश्त है अतः कब्जे–काश्त के अनुसार ही विभाजन होना आवश्यक है ?

———प्रतिवादी 1 ता 3

4. आया वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार है, एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को उसके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं है ?

———प्रतिवादी 1 ता 3 व 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

सुविधा की दृष्टि से तनकी संख्या 1 लगायत 4 एकसाथ निर्णित की जा रही है। वादीगण तथा प्रतिवादी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिन्हें अपनी निहित खातेदारी भूमि में निहित हिस्सानुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विधिवत तकासमा कराए जाने का कानूनी रुप से अधिकार हासिल है जो कि प्रदर्श 1 जमाबंदी से साबित है। वादी ने जाहिर किया है कि वादग्रस्त आराजी का विधिक विभाजन राजस्व अभिलेखों में अंकित हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में किया जावें जिसमें सभी हिस्सेदारान को वादग्रस्त आराजी के उत्तरी दिशा में स्थित आम रास्ते पर अनुपातिक हिस्सा दिया जावे इसके विपरित प्रतिवादीगण ने जाहिर किया है कि जिस अनुसार पक्षकारान अपने हिस्से पर मौके पर काबिजानुसार काश्त है उसी अनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा किया जावे। वादी पीडल्यू 1 रामस्वरूप ने अपने जिरह मे कहा है कि कब्जे अनुसार बंटवारा कर दे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। जिससे तनकी संख्या 3, प्रतिवादी 1 ता 3 ने साबित किया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को कब्जे काश्त के अनुसार प्राथमिक डिकी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। तनकी संख्या 3 प्रतिवादी के पक्ष में साबित होने से वाद कब्जे काश्त के मध्यनजर प्राथमिक डिकी किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को आदेशित किया जाता है कि वे वाके ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर भूमि आराजी खसरा नम्बर 1431 रकबा 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1433 रकबा 1.08 हैक्टेयर, कुल किता–02 कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर का राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना गम्भीरता से करते हुए तथा जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार, सभी को नोटिस देकर कुर्रेजात प्रस्तुत मय नक्शा तीन–तीन प्रतियो में भिजवाना हेतू आदेशित किया गया। तदअनुसार प्राथमिक डिकी जारी की गई।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/4140 दिनांक 29.09.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। वादी की कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात पर कोई आपत्ति नहीं की। प्रतिवादीगण ने आपित्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा प्रतिवादीगण को कोई नोटिस जारी नहीं किया तथा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में कुर्रेजाता रिपोर्ट तैयार की गई है तथा कुर्रेजात रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अपने कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है। इस अतिरिक्त कुर्रेजात रिपोर्ट में प्रतिवादीगण को उसके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से से कम भूमि प्रदत्त की गई है। कब्जे के विपरीत कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये गये है। तथा खसरा नम्बर 1431/2 जो वादी को प्रदत्त किया गया है वह मुख्य सडक की भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण का प्रारम्भ से ही कब्जा काश्त है जो भूमि प्रतिवादीगण को कुर्रेजाता रिपोर्ट में प्रदत्त नहीं कर वदी को दी गई तथा प्रतिवादीगण को कब्जे के विपरीत खसरा नम्बर 1433/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर

प्रदत्त किया गया। राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट खारिज कर पुनः कर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई जावे। हमने आपत्ति पर मनन किया।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी मे उभयपक्ष को अपने हिस्सेनुसार विभाजन प्रस्ताव में हिस्सा दिया गया है तथा पक्षकारान को उनके हिस्सेनुसार रास्ते की ओर समुचित व्यवस्था करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। वादी उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में कोई न्याय संगत ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया कि किसी भी पक्षकार को उसके हिस्से से अधिक भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया हो अथवा रास्ते की समुचित व्यवस्था नही हों। उक्त आपत्तियां निराधार पायी गयी। प्रार्थी ने उक्त के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया तथा तहसीलदार की रिपोर्ट संख्या 4140 दिनांक 29.09.2025 का सूक्ष्म परीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त रिपोर्ट राजस्व मंडल के नियमों के अनुरूप और विधिक प्रक्रिया अपनाकर तैयार की गई है ।

प्रस्तुत तर्को के आधार पर आपत्ति खारिज किया जाकर वाद तद्नुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. रामस्वरूप पुत्र हनुमानसहाय हिस्सा 16/25 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 4/9 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जयरामपुरा, लाडादेवी पत्नी रामस्वरुप हिस्सा – 9/25 जाति– जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/4 (पूर्ण खाता) जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा के हिस्से खसरा नंबर 1431/2 रकबा 1.19 है., 1433/3 रकबा 0.3725 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.5625 है. भूमि रहेगी।
2. ताराचन्द पुत्र प्रभातीलालसैनी हिस्सा– 1/4 जाति– माली सा. ग्रामहाथोज तहसील जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 1/4 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा निवारू, प्रहलाद पुत्र प्रभातीलालसैनी हिस्सा – 1/4 जाति– माली सा. ग्रामहाथोज तहसील जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 1/4 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा निवारू, मदन पुत्र प्रभातीलालसैनी हिस्सा – 1/4 जाति– माली सा. ग्रामहाथोज तहसील जयपुर खातेदार, राहिन हिस्सा– 1/4 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा निवारू, रामनारायण पुत्र प्रभातीलालसैनी हिस्सा– 1/4 जाति– माली सा. ग्रामहाथोज तहसील जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 1433/2 रकबा 0.3725 है. भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

ताराचन्द पुत्र प्रभातीलालसैनी हिस्सा– 11/144 जाति माली सा. ग्रामहाथोज तहसील जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा–11/144 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा निवारू, प्रहलाद पुत्र प्रभातीलालसैनी हिस्सा 11/144 जाति माली सा. ग्रामहाथोज तहसील जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा–11/144 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा

निवारू, मदन पुत्र प्रभातीलालसैनी हिस्सा 1/4 जाति माली सा. ग्रामहाथोज तहसील जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा–11/144 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा निवारू, रामनारायण पुत्र प्रभातीलाल सैनी हिस्सा– 11/144 जाति– माली सा. ग्राम हाथेज, तहसील जयपुर खातेदार, रामस्वरूप पुत्र हनुमानसहाय हिस्सा– 4/9 जाति– जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–4/9 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जयरामपुरा, लाडादेवी पनि रामस्वरुप हिस्सा– 1/4 जाति– जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/4 (पूर्ण खाता) जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा, जाहोता के हिस्से खसरा नंबर 1431/1 रकबा 0.05 है., 1433/1 रकबा 0.02 है. भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 73/2021
बउनवानी – रामस्वरूप बनाम ताराचंद वगै0
निर्णय दिनांक :– 06.01.2026

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या –73/2021 वाद प्रस्तुति दिनांक –01.09.2021

रामस्वरूप पुत्र हनुमान सहाय, जाति जाट, निवासी ग्राम जय रामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र प्रभाती लाल सैनी
2. प्रहलाद पुत्र प्रभाती लाल सैनी
3. मदन पुत्र प्रभाती लाल सैनी
समस्त लगायत 1 लगायत 4, जाति माली, निवासी ग्राम हाथोज, तहसील व जिला जयपुर।
4. रामनारायण पुत्र प्रभाती लाल सैनी समस्त 01 लगायत 04, जाति माली, निवासी ग्राम हाथोज, तहसील व जिला जयपुर।
5. लाडा देवी पत्नी रामस्वरूप, जाति जाट, निवासी– ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. जयपुर थार ग्रामीण बैंक, जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा जाहोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

दावा तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. रामस्वरूप पुत्र हनुमानसहाय हिस्सा 16/25 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 4/9 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जयरामपुरा, लाडादेवी पत्नी रामस्वरुप हिस्सा – 9/25 जाति– जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/4 (पूर्ण खाता) जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा के हिस्से खसरा नंबर 1431/2 रकबा 1.19 है., 1433/3 रकबा 0[illegible] कुल किता 2 कुल रकबा 1. 5625 है. भूमि रहेगी।
2. ताराचन्द पुत्र प्रभातीलालसै[illegible] हिस्सा [illegible]/4 जा[illegible] माली सा. ग्रामहाथोज तहसील जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 1/4 (पू[illegible]) यूको बैंक शाखा निवारू, प्रहलाद पुत्र प्रभातीलालसैनी हिस्सा – 1/4 जाति– माली सा. ग्रामहाथोज तहसील जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 1/4 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा निवारू, मदन पुत्र प्रभातीलालसैनी हिस्सा – 1/4 जाति– माली सा. ग्रामहाथोज तहसील जयपुर खातेदार, राहिन हिस्सा– 1/4 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा निवारू, रामनारायण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर जयपुर आमेर मु. जयपुर

पुत्र प्रभातीलालसैनी हिस्सा– 1/4 जाति– माली सा. ग्रामहाथोज तहसील जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 1433/2 रकबा 0.6875 है. भूमि रहेगी।

3. ताराचन्द पुत्र प्रभातीलालसैनी हिस्सा– 11/144 जाति माली सा. ग्रामहाथोज तहसील जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा–11/144 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा निवारू, प्रहलाद पुत्र प्रभातीलालसैनी हिस्सा 11/144 जाति माली सा. ग्रामहाथोज तहसील जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा–11/144 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा निवारू, मदन पुत्र प्रभातीलालसैनी हिस्सा 1/4 जाति माली सा. ग्रामहाथोज तहसील जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा–11/144 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा निवारू, रामनारायण पुत्र प्रभातीलाल सैनी हिस्सा– 11/144 जाति– माली सा. ग्राम हाथेज, तहसील जयपुर खातेदार, रामस्वरूप पुत्र हनुमानसहाय हिस्सा– 4/9 जाति– जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–4/9 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जयरामपुरा, लाडादेवी पनि रामस्वरुप हिस्सा– 1/4 जाति– जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/4 (पूर्ण खाता) जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा, जाहोता के हिस्से खसरा नंबर 1431/1 रकबा 0.05 है., 1433/1 रकबा 0.02 है. भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 06.01.2026 को जारी किया।

दस्तखत——
ओहदा——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	महन्ताना वकील	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत		खर्चा गवाहन		
महन्ताना वकील		फीस कमिश्नर		
खर्चा गवाहन		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
फीस कमिश्नर		मुतफरित		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	मीजान		
मुतफरित				
मीजान				

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:48 IST
Reason: SelfAttested